बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण,(प्रशिक्षण पक्ष) बिहार, पटना।

प्रेषक,

अपर सचिव,
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

/प ट ना, दिनांक– – 2019

विषयः– श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, तुम्बा, रोहतास में विद्युत कनेक्शन हेतु कुल राशि रू **2,54,367/-** (दो लाख चौवन हजार तीन सौ सड़सठ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपयुक्त विषय के संबंध मे कहना है कि श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत नवनिर्मित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, तुम्बा, रोहतास में विद्युत कनेक्शन लगाने हेतु विद्युत कार्यापालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, डेहरी द्वारा तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन प्राचार्य, औ प्र0 संस्थान, तुम्बा, रोहतास के पत्रांक–76 दिनांक–06.06.2019 के द्वारा कुल राशि **2,54,367/-** (दो लाख चौवन हजार तीन सौ सड़सठ रूपये) मात्र का प्राप्त हुआ है। विद्युत कार्यापालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, डेहरी से प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर वित्तीय–2019–20 में कुल राशि **2,54,367/-** (दो लाख चौवन हजार तीन सौ सड़सठ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2–इस योजनान्तर्गत राशि की निकासी व्यय शीर्ष–2230–श्रम, रोजगार और कौशल विकास–03–प्रशिक्षण–003–शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण–0233–कौशल विकास मिशन मांग संख्या–26, विपत्र कोड–26–2230030030233 के विषय शीर्ष–0233.13.01 कार्यालय व्यय स्कीम से राशि **1,90,775/**–(रू0 एक लाख नब्बे हजार सात सौ पचहत्तर मात्र) और व्यय शीर्ष–2230–श्रम, रोजगार और कौशल विकास–03–प्रशिक्षण–003–शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण–0333–कौशल विकास मिशन मांग संख्या–26, विपत्र कोड–26–2230030030333 के विषय शीर्ष–0333.13.01 कार्यालय व्यय स्कीम से शेष राशि **63592/**–(रू0 तिरसठ हजार पाँच सौ बानवे मात्र) वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्रावधानित राशि से की जाएगी।

3–इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, तुम्बा, रोहतास होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होगें।

4–इस राशि की निकासी जिला कोषागार, डेहरी–ऑन–सोन की जायेगी।

5–प्रस्ताव में विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन एवं आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

ह0/–
अपर सचिव,
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– टी–3/योजना(LWE)–08/2018............................/प ट ना, दिनांक– – 2019

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग(4 प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव,
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– टी–3/योजना(LWE)–08/2018–.......2311.........../प ट ना, दिनांक– 14–11–2019

प्रतिलिपिः–आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, रोहतास/जिला कोषागार पदाधिकारी, डेहरी–ऑन–सोन/विद्युत कार्यापालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, रोहतास/प्रभारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, तुम्बा, रोहतास/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा/को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। साथ ही आई0 टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।